

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1184 सन 2021

अनवान :-

1. कंवरपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कलावती पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 21/20 की कुल 3.5420हैक् व राही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 11/13 की कुल 0.5060हैक् प्रतिवादी संख्या 1 कलावती व सतपाल पुत्र बृजलाल भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र हरदयाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बृजलाल पुत्र हरदयाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक सतपाल के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता बृजलाल पुत्र हरदयाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है सतपाल पुत्र बृजलाल लावल्द फोट हो चुका है सतपाल के कोई सन्तान नही होने के कारण सतपाल के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात सतपाल के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है जो काफी वृद्ध हो चुकी है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का माता व सतपाल जो वादी का भाई था लो लावल्द फोट हो चुका है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बृजलाल पुत्र हरदयाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक सतपाल के नाम से दर्ज है मृतक सतपाल लावल्द फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 21/20 की कुल 3.5420हैक् व राहौ मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 11/13 की कुल 0.5060हैक् प्रतिवादी संख्या 1 कलावती व सतपाल पुत्र बृजलाल भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बृजलाल पुत्र हरदयाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र हरदयाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र हरदयाल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक सतपाल के नाम से दर्ज है।

सतपाल पुत्र बृजलाल जो वादी का भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है सतपाल पुत्र बृजलाल लावल्द फोट हो चुका है सतपाल के जायज वारिसान उसकी माता एवं भाई/बहन है अर्थात सतपाल के नाम दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सतपाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 21/20 की कुल 3.5420हैक् व राहौ मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 11/13 की कुल 0.5060हैक् प्रतिवादी संख्या 1 कलावती व सतपाल पुत्र बृजलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नौहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट... भुकरका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कंवरपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कलावती पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री बृजलाल जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2021 निर्णय दिनांक- 11.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 21/20 की कुल 3.5420हैक् व राहो मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 11/13 की कुल 0.5060हैक् प्रतिवादी संख्या 1 कलावती व सतपाल पुत्र बृजलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट....भुकरका